Australian Government
Department of Home Affairs

नए छात्र वीज़ा के लिए आवेदन करना

COVID-19 के कारण वीज़ा प्रसंस्करण के कुछ समयों पर प्रभाव पड़ा है और आवेदनों पर अंतिम निर्णय लेने में अधिक समय लग सकता है। हम ऐसे यात्रियों के वीज़ा आवेदनों को प्राथमिकता दे रहे हैं जो वर्तमान यात्रा प्रतिबंधों से मुक्त हैं या जो सुरक्षित यात्रा क्षेत्र के अंदर यात्रा कर रहे हैं।

और अधिक जानकारी के लिए वीज़ा प्रसंस्करण समय देखें।

छात्र वीज़ा शुल्कमाफी

यदि आपके पास 1 फरवरी 2020 के दिन या उसके बाद छात्र वीज़ा था और आप COVID-19 के प्रभावों के कारण मूल वीज़ा की वैधता अवधि के अंदर अपना कोर्स पूरा करने में असमर्थ थे/थीं, तो हम वीज़ा आवेदन शुल्क में माफी देंगे ताकि आप एक और छात्र वीज़ा आवेदन जमा कर सकें। इसमें ये परिस्थितियां शामिल हैं, यदि:

- आपने यात्रा प्रतिबंधों के कारण ऑस्ट्रेलिया में प्रवेश करने में असमर्थ होने के फलस्वरूप अपने अध्ययन को स्थगित कर दिया है
- आप पढ़ाई को पार्ट टाइम तौर पर करने के लिए बाध्य हो गए थे/थीं
- आप अपने कार्य-आधारित प्रशिक्षण या प्लेसमेंट को पूरा करने में असमर्थ थे/थीं।

यह उपाय उन विद्यार्थियों के लिए नहीं है जो सामान्य कारणों से नए छात्र वीज़ा का आवेदन कर रहे हैं (जिसमें ये परिस्थितियां भी शामिल हैं जबकि आप किसी कोर्स या अध्ययन इकाई में असफल रहे/रही हैं, आपने व्यक्तिगत कारणों से स्थगन किया गया है या आपने स्वेच्छा से अपने अध्ययन के भार को कम किया है।)

आपको छात्र वीज़ा के लिए आवेदन करना होगा, ताकि आपके शुल्कमाफी के आवेदन पर विचार किया जा सके और अपने शिक्षा प्रदाता की ओर से पूरा भरा गया Form 1545 COVID-19 Impacted Student (PDF 228 KB) संलग्न करना होगा।

यदि आप ऑस्ट्रेलिया के अंदर शुल्कमाफी का आवेदन कर रहे/रही हैं, तो स्वतः रूप से ब्रिजिंग वीज़ा जारी नहीं किया जाएगा क्योंकि पहले शुल्कमाफी की जांच करनी होगी।

यह शुल्कमाफी केवल वीज़ा आवेदन शुल्क के लिए ही लागू है।

छात्र वीज़ा के लिए पहले ही आवेदन कर चुके विद्यार्थियों के लिए धन-वापसी उपलब्ध नहीं होगी। आवेदन शुल्क माफ किए जाने के लिए केवल नए आवेदन ही पात्र होंगे।

प्रपत्र 1545 COVID-19

शिक्षा प्रदाताओं को इस बात के लिए संतुष्ट होने की आवश्यकता होगी कि आपके पास 1 फरवरी 2020 के दिन या उसके बाद छात्र वीज़ा था और आप COVID-19 के प्रभावों के कारण मूल वीज़ा की वैधता अवधि के अंदर अपना कोर्स पूरा करने में असमर्थ थे/थीं।

आप अपने पूरे भरे गए फॉर्म के साथ COVID-19 से संबंधित प्रभावों के विषय में और अधिक प्रमाण जमा कर सकते/सकती हैं।

अंग्रेज़ी परीक्षाएँ, बायोमेट्रिक्स और स्वास्थ्य जैसी अतिरिक्त जानकारी के लिए अनुकूलनीय समय-सीमाएँ

यदि आप COVID-19 के कारण अंग्रेज़ी भाषा परीक्षा देने में असमर्थ रहे थे/थीं, तो हम आपको परिणाम उपलब्ध कराने के लिए अतिरिक्त समय देते हैं। यदि COVID-19 के कारण सेवाओं की सुलभता बाधित हुई है, तो बायोमेट्रिक्स संग्रह और स्वास्थ्य जांच के लिए अतिरिक्त समय भी दिया जाएगा।

यदि आपने भविष्य में 28 दिनों से अधिक समय बाद इनमें से किसी सेवा के लिए एपॉइंटमेंट लिया है, तो आप अपने ImmiAccount में अपनी बुकिंग की पुष्टि संलग्न कर सकते/सकती हैं।

यदि आपको अतिरिक्त समय की आवश्यकता है, तो कृपया विभाग को सूचित करने के लिए ImmiAccount के माध्यम से जानकारी के निवेदनों के उत्तर में बताएँ कि आपको इसकी आवश्यकता है।

वर्तमान वीज़ा धारक

छात्र वीज़ा की शर्तें

COVID-19 प्रतिबंधों के कारण छात्र वीज़ा शर्तें पूरी न कर पाने की स्थिति में हम एक अनुकूलनीय दृष्टिकोण अपना रहे हैं। आप अपने छात्र वीज़ा की शर्तों के उल्लंघन में नहीं होंगे/होंगी, यदि:

- आपके पास एक अनुमोदित पाठ्यक्रम स्थगन है

- आप ऑनलाइन अध्ययन कर रहे/रही हैं।

यदि आप कुछ विशिष्ट क्षेत्रों में कार्यरत हैं, तो आपको अस्थायी रूप से प्रति पखवाड़े (दो सप्ताह) 40 घंटों से अधिक काम करने की अनुमति है।

और अधिक जानकारी के लिए छात्र वीज़ाधारकों के लिए कार्य के घंटों में अस्थाई अपवाद देखें।

हमें सूचित कब करें

अगर आप घर वापिस चले जाते/जाती हैं या आपके अध्ययन की स्थिति में कोई परिवर्तन होता है, तो आपको इसके बारे में हमें बताने की आवश्यकता नहीं है। आपका वीज़ा तब तक मान्य रहता है, जब तक आप एक अन्य वीज़ा के लिए आवेदन जमा नहीं करते/करती हैं, या आपके वीज़ा की अवधि समाप्त नहीं हो जाती है। यदि आप अपने गृहदेश वापिस चले जाते/चली जाती हैं या यदि आप अपना अध्ययन स्थगित कर देते/देती हैं, तो आपके वीज़ा की पदस्थिति नहीं बदलेगी।

शिक्षा प्रदाता एक नई नामांकन की पुष्टि [Confirmation of Enrolment (CoE)] जारी कर सकते हैं और विद्यार्थियों को ऑनलाइन अध्ययन करने के लिए भर्ती कर सकते हैं। यदि आपके पास एक वैध छात्र वीज़ा है, तो आपका शिक्षा प्रदाता हमें आपके नए नामांकन की पुष्टि (CoE) प्रदान करेगा।

यदि आपके पास एक खुला छात्र वीज़ा आवेदन है, तो आप अपने नए नामांकन की पुष्टि (CoE) को ImmiAccount के माध्यम से अपने आवेदन में संलग्न कर सकते/सकती हैं।

वित्तीय कठिनाइयों का सामना कर रहे विद्यार्थी

यदि आप ऑस्ट्रेलिया में अध्ययन और कार्य कर रहे/रही हैं, तो आप आर्थिक समर्थन का उपयोग करने में सक्षम हो सकते/सकती हैं यदि:

- आपको आत्म-अलगाव (सेल्फ-आइसोलेट) करने की आवश्यकता है या आप COVID-19 से संक्रमित किसी व्यक्ति की देखभाल कर रहे/रही हैं (महामारी अवकाश आपदा भुगतान) या;
- आप राज्य के जनस्वास्थ्य आदेश से प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुए/हुई हैं और आपको सात दिनों से अधिक समय के लिए लॉकडाउन में रहने की आवश्यकता है (COVID-19 आपदा भुगतान)।

पात्रता मानदंडों सहित वित्तीय समर्थन भुगतानों के बारे में और अधिक जानकारी के लिए Centrelink भुगतान और सेवाएं देखें।

और अधिक जानकारी

अनेकों सरकारी एजेंसियों के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय विद्यार्थियों के लिए सूचना उपलब्ध है, जिनमें शामिल हैं:

- नवीनतम समाचार, अपडेटों और सलाह के लिए ऑस्ट्रेलियाई सरकार की COVID-19 वेबसाइट।
- शिक्षा, कुशलताएँ और रोजगार विभाग [Department of Education, Skills and Employment]और ईमेल international.students@dese.gov.au
- विदेशी छात्र स्वास्थ्य कवर [Overseas Student Health Cover] के लिए स्वास्थ्य विभाग [Department of Health]
- COVID-19 से संबंधित शिकायतों के लिए अंतर्राष्ट्रीय विद्यार्थी लोकपाल [International Student Ombudsman]
- समर्थन सेवाओं से जुड़ी जानकारी के लिए अध्ययन ऑस्टेलिया [Study Australia]।